# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी — अप्रार्थीगण

तीजूड़ी उर्फ तीजूदेवी वगैरह — बनाम — पीपूराम उर्फ पप्पूराम वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र — मुकदमा नं. 34 / 2021

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 08.06.2021 | यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया।<br>दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व. आईदानराम जी के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि सरहद मौजा गौराऊ में खसरा नं. वर्तमान खसरा नं. 644, 1703/644, 1704/644, 1705/644, 1706/644, 1707/644 (पुराना खसरा 644 रकबा 10.7970 हैक्टैयर) के रूप में स्थित है। जिसका प्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को दान, बक्सीस या वसीयत नहीं की थी। आईदानराम की मृत्यु के समय प्रार्थीया नाबालिग केवल मात्र 11–12 साल की थी। आईदानराम के मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया के भाई बहन मुतदाविया खेतायों की भूमि काबिज होकर काश्त करसण करन लगे तथा आज दिन भी कब्जा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 20 की सहखातेदारी में है। अप्रार्थी पूर्णाराम, सुखाराम, नानूराम व अन्नाराम ने प्रार्थीया के अनपढ़ तथा ग्रामीण परिवेश की होने का फायदा उठाकर खसरा नं. 644 की भूमि अपने नाम बाले –बाले खातेदारी में दर्ज करवा ली जबकि मुतदाविया खेताय की भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा भी निहित था तथा उक्त खेताय की भूमि विधिवत् रूप से अविभाजित भूमि है।<br>यदि अप्रार्थीगण उक्त खेताय की अविभाजित भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन, बक्सीस करने तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने में सफल हो जाते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी तथा असुविधा भी प्रार्थीया को ही होगी। अतः जब तक मुतदाविया खेतायों की भूमि का अन्तिम तौर निस्तारण न हो। अप्रार्थी संख्या 1 से 24 को ग्राम गौराऊ तहसील जायल के विवादग्रस्त वर्तमान खसरा नं. 644, 1703/644, 1704/644, 1705/644, 1706/644, 1707/644 की भूमि में से प्रार्थी के कब्जे काश्त पर हस्तक्षेप नहीं करे तथा ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज बैचान हस्तान्तरण करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।<br>प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना तथा प्रार्थीया का हक हिस्सा उक्त भूमि में साबित है, परन्तु प्रार्थी के हक हिस्सा होना प्रतीत होता है। इस प्रकार आंशिक तौर पर अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना प्रतीत होती तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के आंशिक बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है।<br>अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 को मौजा–गौराऊ तह. जायल के वर्तमान खसरा नं. 644, 1703/644, 1704/644, 1705/644, 1706/644, 1707/644 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करने बाबत् जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक 30.06.2021 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)<br>जायल, जिला नागौर | |

Scanned with CamScanner

30/6/24: पत्रावली पेश हुई। गत तारीख की पालना में निगरानी नियत दिनांक 01/8/2024 को पेश हो।

[signature]

1/8/24: वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाजा को बाद पेशी पर लिए जाने एवं जरिये विड्रोल खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। मिसल जरूरी नक्ल हो कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

ह. वि. [illegible]
[illegible]